राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक : F26(4)( )विटामिन–ए/IEC/ICDS/17/ 84698-8582 जयपुर, दिनांक : 31-5-17

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
समस्त

विषयः– नवीन रजिस्टर नम्बर–7 (विटामिन–ए) को भरने संबंधी आवश्यक दिशा–निर्देशों के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग द्वारा गत वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा निर्धारित RMIS के तहत आपको नये रजिस्टरों की आपूर्ति की गयी थी। आशा है कि वे सभी रजिस्टर आंगनबाड़ी केन्द्रों तक पहुँचा दिए होगें। जैसा कि आप जानते है कि दिनांक 30 मई, 2017 से विटामिन ए का 33वां चरण प्रारम्भ हो रहा है। यह अभियान एक माह के लिए आयोजित किया जायेगा, जिसमें आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 12 माह से 60 माह तक के बच्चों को विटामिन–ए की खुराक पिलायी जायेगी।

RMIS के तहत आपको भेजे गये रजिस्टरों में रजिस्टर नम्बर–1 (सर्वे), रजिस्टर नम्बर–6 (टीकाकरण) तथा रजिस्टर नम्बर–7 (विटामिन–ए) से संबंधित है। कृपया यह सुनिश्चित करें कि विटामिन–ए की खुराक का विवरण निर्धारित रजिस्टर नम्बर–7 में दर्ज हो। आपकी सुविधा हेतु रजिस्टर भरने के लिए सरल निर्देश निम्नानुसार है :–

1. विटामिन ए रजिस्टर के कॉलम संख्या 1 से 6 में सर्वे रजिस्टर संख्या 1 के या टीकाकरण रजिस्टर 6 में बच्चों के नाम घटते क्रम में दर्ज किये जायेंगे
2. वे बच्चें जिनका नाम सर्वे रजिस्टर में नहीं है/जोड़ा नहीं गया है/अस्थायी रूप से आते है, उनके नाम भी इसी प्रारूप में लिखे जायेगे। भविष्य में जैसे ही किसी बच्चे का जन्म/रजिस्ट्रेशन हो इस प्रारूप में जोड़ा जायेंगा।
3. कॉलम संख्या 7 से आगे के कॉलम में प्रत्येक बच्चे की दो लाईन है, ऊपर वाली लाईन में विटामिन–ए की खुराक की ड्यू माह (जैसे– इस बार के लिए मई, 2017) लिखा जाये तथा इसके नीचे वाली लाईन में खुराक पिलाने की वास्तविक तिथि (जैसे– 30.05.17) लिखी जायेगी।
4. इस बात का ध्यान देवे कि कॉलम 7 खुराक–2 से शुरू होता है क्योंकि विटामिन–ए की प्रथम खुराक–1 की एन्ट्री रजिस्टर नम्बर–6 (टीकाकरण) के कॉलम संख्या–21 में होती है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि समस्त पर्यवेक्षकों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उपरोक्तानुसार विटामिन–ए रजिस्टर भरने हेतु निर्देशित कर यह सुनिश्चित करें कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर विटामिन–ए की खुराक समस्त 12 माह से 60 माह तक के बच्चों को पिलायी जाये।

((बिन्दु करूणाकर)
अतिरिक्त निदेशक (आई)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : F26(4)( )विटामिन–ए/IEC/ICDS/17/ 8502-35 जयपुर दिनांक : 31-5-17
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग
2. एसीपी (उप निदेशक) निदेशालय, को भेजकर लेख है कि विभागीय वैबसाईट पर अपलोड़ करने का श्रम करें।

(सोमेश्वर देवड़ा)
सहायक निदेशक (आईईसी)